

क्र. 2924/नातौ/अ-1(1)/ऑटोमेशन/14

भोपाल, दिनांक : 04/09/2014

प्रति,

समस्त उप/सहायक नियंत्रक
समस्त निरीक्षक
नाप-तौल (विधिक माप विज्ञान)
म0प्र0 भोपाल

विषय :- लंबे समय से उपयोग में न आने वाले स्थापित/मुद्रांकित नाप-तौल उपकरणों के सत्यापन के संबंध में।

--00--

म.प्र. विधिक मापविज्ञान नियम, 2011 के नियम 15 (1) अनुसार नाप-तौल उपकरणों के सत्यापन के संबंध में देय शुल्क का विवरण अनुसूची-अ 10 में दिया गया है। नियम 15 (3) में विधि मान्यता की समाप्ति के पश्चात् पुनः सत्यापन के लिए प्रस्तुत किये जाने पर वर्ष की प्रत्येक तिमाही के लिये अतिरिक्त सत्यापन शुल्क लिये जाने का प्रावधान है।

इस कार्यालय के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि जब नाप-तौल उपकरण के उपयोगकर्ता द्वारा इसके सत्यापित व मुद्रांकित नाप-तौल उपकरणों को प्रयोग में न लाने की सूचना निरीक्षक को दे दी गई है, किन्तु फिर भी पुनः उपयोग में लाये जाने के लिए इसका सत्यापन/मुद्रांकन कराये जाने के लिये निरीक्षक पूर्व के सत्यापन एवं मुद्रांकन के आधार पर अतिरिक्त सत्यापन शुल्क जमा करने हेतु कहते हैं, जो कि न्यायोचित नहीं है, क्योंकि उपकरण का उपयोग ही नहीं हुआ।

अतः इस संबंध में यह निर्देश दिये जाते हैं कि जब भी कोई नाप-तौल उपकरण का उपयोगकर्ता अपने सत्यापित/मुद्रांकित नाप-तौल उपकरण को उपयोग में नहीं लिये जाने की सूचना देता है तो ऐसे आवेदक को उपकरण के लिए निर्धारित देय सत्यापन शुल्क जमा कराने को कहा जावे तथा यह शुल्क जमा करने पर संस्था के नाप-तौल उपकरणों पर लगी मुद्रा को Obliteration किया जावे एवं इसका एक सत्यापन प्रमाण-पत्र जो कि नियमों में निर्धारित है (स्वयं के अनुरोध पर Rejection बाबत), जारी किया जावे एवं जब संस्था इसे पुनः सत्यापित एवं मुद्रांकित कराना चाहे तो नियमानुसार (बगैर अतिरिक्त सत्यापन शुल्क के) देय शुल्क जमा कर इनका सत्यापन किया जाए।

Sl/24

नियंत्रक

नाप-तौल (विधिक माप विज्ञान)

म0प्र0 भोपाल

पृ. क्र. 2925/नातौ/अ-1(1)/ऑटोमेशन/14

भोपाल, दिनांक : 04/09/2014

प्रतिलिपि :-

1. संयुक्त नियंत्रक/दाशमिक अधिकारी (मु0) की ओर प्रेषित।
2. अधीक्षक/स्टेनो (मु0) की ओर सूचनार्थ।
3. लेखा/ऑडिट शाखा (मु0) की ओर सूचनार्थ।

Sl/24

नियंत्रक

नाप-तौल (विधिक माप विज्ञान)

म0प्र0 भोपाल